उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0आॅ0–माजरा, देहरादून

फोन–0135–2641115 फैक्स–2641314 Website www.uerc.gov.in

निष्प्रयोज्य सामाग्रियों की नीलामी हेतु शुद्धि पत्र

आयोग कार्यालय की निष्प्रयोज्य सामाग्रियों की सार्वजनिक नीलामी हेतु दैनिक समाचार पत्रों में दिनाँक 15.09.2018 को प्रकाशित सूचना को संशोधित करते हुए सामाग्रीयों की प्रकृति के अनुरूप दो भागों में खुली निविदा संशोधित तिथि दिनांक 05.10.2018 को सायं 04:00 बजे समिति द्वारा खुली बोली के आधार पर की जानी प्रस्तावित है। जिसके अनुरूप भाग–1 के अन्तर्गत सामान्य सामाग्रियों (फर्नीचर, रददी इत्यादि) हेतु कोई भी बोलीदाता तथा भाग–2 के अन्तर्गत कम्प्यूटर से सम्बन्धित सामाग्रियों हेतु अधिकृत ई वेस्ट फर्मे ही भाग ले सकती है। बोली हेतु धरोहर धनराशि जमा की जानी अनिवार्य होगी। नीलामी की संशोधित विस्तृत शर्तें एवं सामाग्रियों की सूची आयोग कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

वि0सं0– 17 / 2018–19

सचिव

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी.,पो0ऑ0–माजरा, देहरादून

फोन–0135–2641115 फैक्स–2641314 Website www.uerc.gov.in

निष्प्रयोज्य सामाग्रियों की नीलामी हेतु संशोधित शर्तें

1. आयोग कार्यालय की निष्प्रयोज्य सामाग्रियों की सार्वजनिक नीलामी 'जहाँ है जैसी है' के आधार पर दिनाँक 15.09.2018 को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना में संशोधन करते हुये सामग्रियों की नीलामी निम्न 02 भागों में संशोधित तिथि दिनांक 05.10.2018 को सायं 04:00 बजे समिति द्वारा खुली बोली के आधार पर की जानी प्रस्तावित हैः–

   अ) भाग–1 सामान्य सामग्रियों हेतु।

   ब) भाग–2 सूचना एवं संचार, तकनीकी घटकों हेतु।

2. भाग–2 के अन्तर्गत उल्लिखित सामग्रियों की नीलामी हेतु भाग लेने वाली फर्म को भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियनत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत ई वेस्ट dismantler या recycler होने का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। जिन बोली दाताओं के द्वारा उक्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, उन्हें भाग–2 की नीलामी में भाग लेने नहीं दिया जायेगा।

3. नीलामी की विस्तृत शर्तें, निष्प्रयोज्य सामग्रियों की सूची आयोग कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है।

4. निष्प्रयोज्य सामग्रियों का निरीक्षण आयोग कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर सायं 4:00 से 5:30 बजे तक किया जा सकता है।

5. निष्प्रयोज्य सामग्रियों की सूची के अनुरुप भाग–1 हेतु रू0 40,343.00 तथा भाग–2 हेतु रू0 **Reserved** 19,657.00 मूल्य निर्धारित है।

6. इच्छुक बोलीदाताओं को धरोहर धनराशि के रूप में भाग–1 हेतु रू0 2,000.00 एवं भाग–2 हेतु रू0 2,000.00 के डिमान्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर पृथक–पृथक अथवा संयुक्त धनराशि रू0 4000/– (यदि एक बोलीदाता द्वारा दोनो भाग की निष्प्रयोज्य सामाग्रीयों में प्रतिभाग किया जा रहा हो तो) बोली से पूर्व कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के पक्ष में देय होगी अन्यथा निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7. प्रथम दो उच्च बोलीदाताओं के द्वारा धरोहर के रूप में जमा धनराशि को नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्ति उपरान्त वापस कर दी जायेगी। शेष असफल बोलीदाताओं को नीलामी की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

8. नीलामी में उच्च बोलीदाता को 50 प्रतिशत धनराशि तत्काल नकद रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। शेष धनराशि तीन दिवस के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा तथा समस्त सामग्री उठानी होगी। निर्धारित समय तक धनराशि जमा ना करने पर बोलीदाता द्वारा जमा समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय उच्च बोलीदाता को अवसर प्रदान कर दिया जायेगा।

9. विवाद उत्पन्न होने की दशा में सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग देहरादून का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा तथा जिसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

10. किसी भी नीलामी हेतु प्राप्त किसी भी बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार इस हेतु गठित समिति/सक्षम अधिकारी को होगा।

11. निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी होने के उपरान्त ले जाने हेतु समस्त भाड़ा बोलीदाता को स्वयं वहन करना होगा तथा नीलामी की गई कोई भी सामग्री किसी भी दशा में वापस नहीं ली जायेगी।

12. नीलामी से प्राप्त धनराशि केवल नकद रूप में जमा की जायेगी।

13. बोली लगाते समय केवल बोलीदाता ही उपस्थित रह सकते है, उनके किसी प्रतिनिधि एवं साथी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

14. यदि निविदा के दौरान सामाग्रियों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है तो समिति को यह अधिकार होगा कि उक्त सामग्री की निविदा को निरस्त कर सकती है।

15. यदि कोई आयकर/व्यापार कर अथवा अन्य कोई कर नियमानुसार देय होगा तो वह बोलीदाता द्वारा स्वतः वहन किया जायेगा।

16. उपरोक्त नीलामी की शर्तों के विषय में तथा नीलामी की तिथि स्थगित होने या बदलने एवं नीलामी के दौरान अथवा किसी भी समय विवाद उत्पन्न होने की स्थिति मे ंसचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

सचिव

संलग्नः– निष्प्रयोज्य सामग्रियों की सूची।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी हेतु भाग–1 की सामाग्री सूची

क्र0सं0	निष्प्रयोज्य सामग्रियों का विवरण	नग
01.	बैग/ब्रीफकेश	07
02.	फर्नीचर(कुर्सी, मेज,पार्टिशन इत्यादि)	18
03.	ताला	01
04.	समाचार पत्र रद्दी	300 किग्रा0 (अनुमानित भार)

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी हेतु भाग–2 की सामाग्री सूची

क्र0सं0	निष्प्रयोज्य सामग्रियों का विवरण	क्रय वर्ष	नग
इलैक्ट्रीकल एवं इलैक्ट्रानिक/आई टी सामग्री (भाग–2)			
1.	माइक्रोवेव(हाट केस)	21.11.2007	01
2.	कोम बाईन्ड मशीन	31.12.2014	01
3.	स्पलीट ए0सी0 आऊटडोर यूनिट	14.05.2003	01
4.	स्पलीट ए0सी0 इनडोर यूनिट		01
5.	ए0सी0 स्टब्लाईजर		01
6.	इन्वर्टर	14.03.2003	02
7.	इन्वर्टर बैटरी		03
8.	डैस्कटॉप कम्प्यूटर	29.10.2004	01
9.	कलर मानिटर 17 इन्च		01
10.	लेपटाप	1.12.2009	01
11.	प्रिंटर	14.06.2006	01
12.	की बोंड	19.11.2006	01
13.	कार्टेज (मॉडल 88A/304A/101s/12A/15A इत्यादि)	–	46
14.	अन्य आई0टी0 सामग्री (माउस, मोबाईल, हार्ड डिस्क, मॉडम, रैम, मल्टीमीटर, टूल किट, पैनड्राईव इत्यादि)	–	13

*****